इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 9 अंक : 12 जुलाई 2017 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 4
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ---------- 5
विनियामकों के कथन ---------- 6
नयी नियुक्तियाँ ---------- 7
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 7
विदेशी मुद्रा ---------- 7
शब्दावली ---------- 8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 9
संस्थान समाचार ---------- 9
नयी पहलकदमी ---------- 13

बाजार की खबरें ----------
------14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

2रे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18 की मुख्य बातें

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2री द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-15 की घोषणा 7 जून, 2017 को की गई। उक्त मौद्रिक नीति की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर क्रमश: 6.25% और 6% पर अपरिवर्तित।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) 0.5% घटाकर 20% किया गया।
- आवास ऋणों के मामले मैँ जोखिम-भार मैँ कटौती।
- विदेशों मैँ रुपए मैँ मूल्यवर्गित बाण्ड (RDBs) जारी करने से संबन्धित प्रावधानों मैँ संशोधन।

1 जुलाई से पैन और आधार को जोड़ना जरूरी

सरकार ने वैयक्तिक खाता संख्या (पैन) रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसे 1 जुलाई से उनके बारह अंकीय जीवसांख्यिकीय आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। कर विवरणी भरने, बैंक खाते खोलने और एक न्यूनतम सीमा से अधिक के वित्तीय लेन-देन करने के लिए जिसकी आवश्यकता होतो है उस स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या अथवा आधार नामांक्र पहचान का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना होगा।

बैंक, डाकघर पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर सकते हैं

सरकार ने बैंकों और डाकघरों को 500 रुपए और 1000 रुपए के उन पुराने नोटों, जो अब संचलन मेँ नहीं हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 20 जुलाई तक बदलने की अनुमति केवल इस शर्त पर दी है कि ये नोट 30 दिसंबर, 2016 तक संग्रहीत किए गए हों। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास यह विनिमय 20 जुलाई तक करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उन्होंने ये विमुद्रीकृत नोट 10 और 14 नवंबर, 2016 के बीच संग्रहीत किया हो।

सेबी ने ग्रीन बाँड़ों के लिए नए मानदंड जारी किए

नवीकरणीय ऊर्जा अंतराल मेँ निवेश के लिए ग्रीन बाँड़ों के जरिये निधियाँ जुटाने मेँ कंपनियों की सहायता करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऐसे बांड जारी और सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रकटन मानदंड प्रकाशित किए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य भारत मेँ 2030 तक जलवायु परिवर्तन के लिए 2.5 ट्रिलयन अमरीकी डालर मूल्य की वित्तीयन जरूरतों को पूरा करने मेँ सहायता करना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि किसी ऋण प्रतिभूति को ग्रीन बांड तभी माना जाएगा जब उसके जरिये जुटाई गई निधियों का उपयोग वात एवं सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय और वहनीय ऊर्जा के लिए किया जाएगा। ग्रीन बांड के जारीकर्ता को प्रस्ताव प्रलेखों मेँ इसप्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गम के पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्रकट करना होगा।

सेबी ने मार्जिन क्रय-विक्रय /व्यापार सुविधा के संबंध मेँ मानदंड जारी किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मार्जिन क्रय-विक्रय /व्यापार सुविधा (MTF) के संबंध मेँ प्रकटन मानदंडों और इस सुविधा को ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए दलालों हेतु पात्रता संबंधी आवश्यकताओं के साथ व्यापक रूपरेखा जारी की है। उक्त सुविधा उधार ली गई निधियों अथवा उन प्रतिभूतियों के साथ प्रदान की जाती है जो निवेशकों को बाजार मेँ उनके संसाधनों से अधिक एक्सपोजर उठाने मेँ समर्थ बनाती हैं। कम से कम 3 करोड़ रुपए से अधिक की निवल मालियत वाले कारपोरेट दलाल ही अपने ग्राहकों को मार्जिन क्रय-विक्रय /व्यापार की सुविधा प्रदान करने के पात्र होते हैं। दलालों को शेयर बाजार को किसी लेखा-परीक्षक से निवल मालियत की पुष्टि करते हुए एक अर्धवार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। मार्जिन क्रय-विक्रय/व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए कोई दलाल स्वयं अपनी निधियों का उपयोग कर सकता है अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उधार ले सकता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

नए बैंक खातों, 50,000 रुपए से अधिक के लेनदेनों के लिए आधार अनिवार्य

केंद्र ने नया बैंक खाता खोलने के लिए और 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करने के लिए आधार संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य कर दिया है। 1 जून से बैंकों को आधार और वैयक्तिक खाता संख्या (पैन) दोनों के विवरणों की ग्राहक पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से मांग करनी होगी। मौजूदा बैंक खाता धारकों को उनके आधार के विवरण 31 दिसंबर तक उपलब्ध करने होंगे, जबकि नये आवेदकों को या तो 12 अंकीय आधार संख्या का उल्लेख करना होगा या फिर इस आशय का प्रमाण देना होगा कि उन्होंने आधार नामांकन हेतु आवेदन कर रखा है। 50,000 रुपए की सीमा वाले छोटे खाते आधार के बिना भी खोले जा सकते हैं, किन्तु यह केवल ऐसी बैंक शाखाओं में ही किया जा सकता है जो कोर बैंकिंग समर्थित हों अथवा जहां ऐसे खातों पर अयांत्रिक रूप से (manually) निगरानी रखना संभव हो।

भुगतान बैंक अन्य ऋणदाताओं के कारबार संपर्कियों के रूप में कार्य कर सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों के कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। इससे भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों में ग्राहक के खाते को परिचालित करने अथवा खाते में उपलब्ध निधियों तक पहुँचने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। हालांकि, उन्हें वे जिन बैंकों के लिए कारबार संपर्की के रूप में कार्य कर रहे हैं उन बैंकों के पास ग्राहकों द्वारा रखे गए उनके खाते से आहरण और अंतरण करने की सुविधा प्रदान करनी होगी। तथापि, ऐसा केवल ग्राहक की पूर्व-सम्मति से ही किया सकेगा तथा यह केवल ऐसे ही मामलों मेँ ही लागू होगा जहां भुगतान बैंक के खाते मेँ शेषराशि 1 लाख रुपए अथवा ग्राहक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : पेंशन भुगतान आदेश अभिलेखित करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पासबुक पर भुगतान आदेश (PPO) संख्या अभिलेखित करने की सलाह दी है। इस मुहिम का उद्देश्य पेंशनभोगियों द्वारा अन्य बातों के साथ ही मूल पेंशन भुगतान आदेश के गायब हो जाने की स्थिति मेँ उसकी दूसरी प्रति मिलने, पेंशन खाते के स्थानांतरण तथा पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद पति/पत्नी अथवा आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने मेँ होने वाली रिपोर्ट की गई कठिनाइयों को दूर करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षण समिति के विषय-क्षेत्र को विस्तारित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली मेँ दबावग्रस्त आस्तियों का निराकरण करने के लिए पर्यवेक्षण समिति (OC) का (पूर्ववर्ती दो के स्थान पर) पाँच सदस्यों को शामिल करने के लिए पुनर्गठन किया है। जहां उधार लेने वाली संस्था/कंपनी के प्रति बैंकिंग क्षेत्र

का समग्र एक्सपोजर के 500 करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी द्वावग्रस्त आस्तियों के मामले मेँ उक्त समिति के विषय-क्षेत्र को भी विस्तारित कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के विषय-क्षेत्र को विस्तारित किया

1 जुलाई के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य पक्ष उत्पादों की अप-बिक्री तथा मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रानिक बैंकिंग से संबन्धित ग्राहक परिवादों से जुड़े मुद्दों को शामिल करके अपने बैंकिंग लोकपाल प्लेटफार्म के विषय-क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। बीमा, पारस्परिक निधि और अन्य पक्ष के इतर उत्पादों की अप-बिक्री से पैदा होने वाली कमियों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अब बैंकों को अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री पर बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके आर्थिक अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किए जाने के परिणामस्वरूप बैंकिंग लोकपालों को मौजूदा 10 लाख रुपए के स्थान पर 20 लाख रुपए का अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। लोकपाल बैंकों को समय की बरबादी, वहन किए गए खर्चों के साथ ही शिकायतकर्ता को पहुंचे उत्पीड़न एवं मानसिक संताप के लिए उसे 1 लाख रुपए तक के प्रतिकर /मुआवजे का भुगतान करने का निदेश दे सकते हैं।

विनियमकों के कथन

बैंकों द्वारा स्वायत्तता का दुरुपयोग किए जाने पर ग्राहक अपने खाते को स्थानांतरित कर सकते हैं

आधार के अधीन अतिशय नामांकन तथा उनकी वैयक्तिक बैंक खातों के साथ सहलग्नता के साथ एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) जैसी भुगतान प्रणालियों मेँ हो रही प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के फलस्वरूप अब खाता संख्या की वहनीयता एक आसन्न संभावना हो गई है। इसने भारतीय रिजर्व बैक को उन व्यथित ग्राहकों को यह आशा कराने मेँ समर्थ बनाया है कि स्वयं उनके बैंक द्वारा न्यूनतम शेष निर्धारित किए जाने अथवा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रभार वसूल किए जाने की स्वायत्तता का दुरुपयोग किए जाने पर वे अपने खाते को चुपचाप किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित कर सकें।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक निधियों की जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एस॰ एस॰ मूंदडा ने कहा है कि अशोध्य ऋणों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण तथा दबावग्रस्त आस्तियों के लिए हेयरकट के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष मेँ सरकार से बजट मेँ किए गए 10,000 करोड़ रुपएके प्रावधान से अधिक पूंजी निषेचन की आवश्यकता हो सकती है। बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के लिए लगाए जाने वाले हेयरकट की मात्रा को आवश्यकता एवं (निराकरण) अपेक्षा पर निर्भर होना चाहिए।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री एस॰ गणेश कुमार	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप मैं नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (से)	पारस्परिक निधियाँ	मौजूदा और नए निधि गृहों के लिए व्यवसाय करने की सहूलियत बढ़ाना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 जून, 2017 के दिन बिलियन रुपए	23 जून, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	24,682.7	3,82,531.7
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,142.2	3,58,664.6
(ख) सोना	1,297.1	20,095.७
(ग) विशेष आहरण अधिकार	94.7	1,467.9
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	148.7	2,303.5

जुलाई, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.42500	1.58600	1.71000	1.80800	1.90700
जीबीपी	0.46230	0.6885	0.7886	0.8858	0.9757
यूरो	-0.2१810	-0.134	-0.008	0.126	0.267
जापानी येन	0.04630	0.060	0.068	0.088	0.111
कनाडाई डालर	1.28000	1.402	1.526	1.629	1.722
आस्ट्रेलियाई डालर	1.81800	1.963	2.115	2.378	2.510
स्विस फ्रैंक	-0.60250	-0.549	-0.452	-0°351	-0.239
डैनिश क्रोन	-0.03720	0.0585	0.2110	0.3380	0.4980
न्यूजीलैंड डालर	2.10420	2.350	2.552	2.731	2.883

स्वीडिश क्रोन	-0.44800	-0.233	-0°008	0.213	0.420
सिंगापुर डालर	1. 05000	1.270	1.475	1°640	1.780
हांगकांग डालर	1.11000	1.330	1.510	1.640	1.760
म्यामार	3.53000	3.600	3.650	3.700	3.750

शब्दावली

ग्रीन बांड

ग्रीन बांड किसी संस्था/कंपनी द्वारा निवेशकों से निधियाँ जुटाने हेतु जारी किया जाने वाला एक ऋण लिखत होता है। किसी ग्रीन बांड को अन्य बाँड़ों से अलग करने वाला तत्व यह है कि ग्रीन बांड प्रस्ताव से प्राप्त होने वाली राशियाँ संभावनाशील परियोजनाओं के वित्तीयन मेँ उपयोग के लिए अलग रख दी जाती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मूल्य की तुलना मेँ ऋण (LTV) अनुपात

मूल्य की तुलना मेँ ऋण अनुपात ऋणदाताओं द्वारा खरीदी गई आस्ति के मूल्य की तुलना मेँ ऋण अनुपात को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त एक पद है। बैंकों द्वारा इस पद का प्रयोग सामान्यतया स्थावर संपत्ति के कुल मूल्यांकित मूल्य को ऋण के प्रतिशत के रूप मेँ दर्शाने हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई/अगस्त 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	ऋण मूल्यांकन	10 से 14 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
2	बैंकों मेँ जोखिम प्रबंधन	19 से 21 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
3	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं साइबर अपराधों की रोकथाम	28 से 29 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
4	वसूली प्रबंधन	03 से 05 अगस्त, 2017 तक	मुंबई
5	आवास वित्त	07 से 09 अगस्त, 2017 तक	मुंबई
6	वसूली प्रबंधन	19 से 21 जुलाई, 2017 तक	चेन्नै
7	पहली बार शाखा प्रबन्धक	31 जुलाई से 05 अगस्त, 2017	चेन्नै
8	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला वसूली प्रबंधन	10 से 12 जुलाई, 2017 तक	कोलकाता
9	ऋण मूल्यांकन	07 से 11 अगस्त, 2017 तक	कोलकाता

10	लघु एवं मध्यम उद्यम	17 से 21 जुलाई, 2017 तक	दिल्ली

संस्थान समाचार

बैंकों मेँ क्षमता निर्माण – एक और पाठ्यक्रम बढ़ाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत यह अधिदिष्ट किया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों मेँ यथोचित योग्यता/प्रमाणन वाले कर्मचारियों को अभिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भ मेँ उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

1° खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड कार्यालय परिचालन

2. जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम

3° लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य

4° ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन

तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने ऐसी उपयुक्त संस्थाओं और पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उक्त समूह, जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2017 मेँ प्रस्तुत की, की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र के अधीन सदस्य बैंकों को उन संस्थाओं के नाम सूचित किए थे जो केंद्रीय बैंक द्वारा इसके ऊपर वर्णित क्षेत्रों मेँ प्रमाणन प्रदान करने की पात्र हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार मेँ से तीन क्षेत्रों मेँ प्रमाणन प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को प्रति अग्रेषित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र मेँ यह कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के सहयोग से उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा मेँ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र मेँ कार्यरत हैं अथवा उक्त क्षेत्र मेँ कार्य करने के इच्छुक हों।

आपके तात्कालिक अवलोकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किए गए तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों को सूचित किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम इसके नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :

क्रम संख्या	वे क्षेत्र जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणन अभिज्ञात किया गया है	प्रमाणन प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय बैंक संघ द्वारा अभिज्ञात आईआई बीएफ द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम

1	खजाना परिचालन – व्यापारी, मिड आफिस परिचालन	प्रमाणित खजाना व्यापारी (मिश्रित पाठ्यक्रम – आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
2	जोखिम प्रबंधन – ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम	वित्तीय सेवाओं मेँ जोखिम- चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फार सिक्योरिटीज एण्ड इनवेस्टमेंट (CISI), लंदन के सहयोग से
3	ऋण प्रबंधन – ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन	प्रमाणित ऋण अधिकारी (मिश्रित पाठ्यक्रम – आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
4	लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स एक पाठ्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करेगा

संस्थान द्वारा उपर्युक्त विषयों के लिए परीक्षा सामान्यतया छः माह मेँ एक बार आनलाइन मोड के जरिये देशभर मेँ स्थित 130 से अधिक केन्द्रों मेँ आयोजित की जाती है। हालांकि, बैंकों एवं अभ्यर्थियों के लाभार्थ इन तीन पाठ्यक्रमों के लिए इसके नीचे दिये गए कार्यक्रम के अनुसार एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	पंजीकरण के लिए खुली अवधि
वित्तीय सेवाओं मेँ जोखिम	30-07-2017 (रविवार)	05-06-2017 से 20-06-2017 तक
प्रमाणित खजाना व्यापारी और प्रमाणित ऋण अधिकारी	29-10-2017 (रविवार)	15-08-2017 से 14-09-2017 तक

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट बाफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने मेँ समर्थ होंगे।

6ठे उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरुआत

संस्थान ने बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र के कार्यरत कार्यपालकों के लिए बैंकिंग एवं वित्त मेँ 6ठे "उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम" (एएमपी) की 9 जुलाई, 2017 को शुरुआत कर दी है। यह आठ माह की अवधि तक सप्ताहांत मेँ संचालित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने अपने कोलकाता स्थित परिसर मेँ 30 घंटों का एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) संचालित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर पहली परीक्षा जनवरी, 2018 में आयोजित की जाएगी।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण **8 मई, 2017** से आरंभ हो गया है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के जुलाई – सितंबर, 2017 के आगामी अंक के लिए निर्धारित विषय-वस्तु है "विमुद्रीकरण के उपरांत बैंकों पर प्रभाव/ उनके लिए चुनौतियाँ"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने -आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1° प्रकाशन स्थल : मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता : मासिक
3. प्रकाशक का नाम : डा° जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम : डा° जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा° जे° एन° मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा° जे° एन° मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जून, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

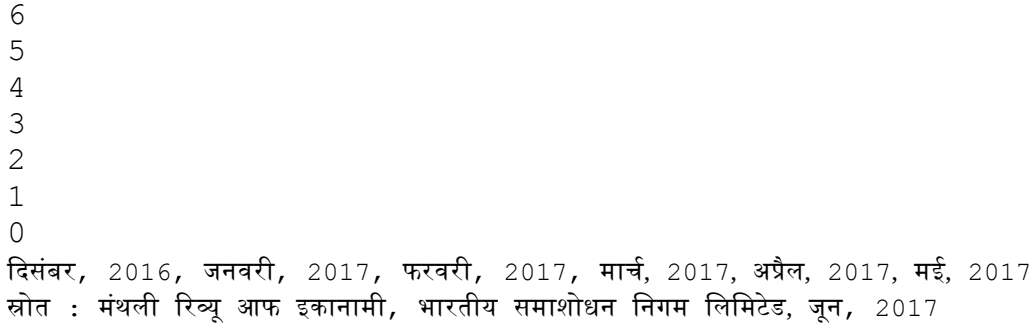

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

26000

जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

15
14
13
12
11
10
9
8

दिसम्बर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जुलाई, 2017